उनवान

प्रकरण सं. ....

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
6/12/24	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 3/1/25 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
3/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधि० उप० प्रतिवादी की तलबी हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 7/1/25 को वास्ते तलबी पेश हो। [signature]	
7/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधि. उप.। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) के अनुसार वादग्रस्त भूमि सिवायचक भूमि नहीं होकर खसरा सं. 3204 में दर्ज है। सम्भवत: वादग्रस्त भूमि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसे वादी द्वारा प्रतिवादी कायम नहीं किया गया है। अत: सिविल प्रक्रिया संहिता की ~~आदेश 7 नियम 11~~ धारा 151 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कुसंयोजन की श्रेणी में प्रभावित होने से CPC के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। [signature] 7/1/25 **सहायक कलक्टर** **भीलवाड़ा**	

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. रूकमा देवी पत्नी रामचन्द्र तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी देवली रोड़, प्रेम नगर, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी देवली रोड़, प्रेम नगर, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. छोटुलाल पुत्र रामचन्द्र तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी देवली रोड़, प्रेम नगर, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी देवली रोड़, प्रेम नगर, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. बरदीचन्द्र पुत्र रामचन्द्र तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी देवली रोड़, प्रेम नगर, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. नारायण लाल तेली पुत्र रामचन्द्र तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी देवली रोड़, प्रेम नगर, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. कमला देवी पुत्री रामचन्द्र तेली पत्नी रूपलाल तेली उम्र वयस्क निवासी देवली रोड़, प्रेमनगर, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 11/2023 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अमित कोठारी उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 07.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि सिवायचक भूमि नहीं होकर खाता संख्या 3204 में दर्ज है। सम्भवतः वादग्रस्त भूमि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसे वादी द्वारा प्रतिवादी कायम नहीं किया गया है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कुसंयोजन की श्रेणी में प्रमाणित होने से सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है।

07/1/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा